Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/10111/2003/कोटा

मोहनलाल पुत्र मोतीलाल जाति खारवाल निवासी कालारेवा तहसील दीगोद जिला कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र बजरंगलाल – मृतक **(जरिये कायममुकाम)**

   1/1. कमलाबाई पत्नी मांगीलाल जाति बैरागी निवासी करोर का खेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
   1/2. गिरीराज पुत्र मांगीलाल
   1/3. नरेश पुत्र मांगीलाल
   1/4. रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल
   –समस्त जाति बैरागी निवासीगण करोर का खेडा तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री हेमन्त कुमार विजय, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री चन्द्र मोहन शर्मा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 1
श्री एस0पी0चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 13–03–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–2–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को निस्तारित करना उचित समझते है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि संलग्न दस्तावेजात प्रकरण के सत्यक रूप से निस्तारण में न्यायालय को सहायता प्रदान करेंगे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष को सुना। हमने संलग्न दस्तावेजात का परीक्षण किया है तथा हम पाते है कि प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने से न्यायालय को न्याय निर्णयन में सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही संलग्न दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विधिक दृष्टिकोण से निस्तारण करने में सहायता प्राप्त होगी। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाता है।

3. अपीलान्ट की ओर से दिनांक 11-12-2002 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी बाबत मृतक विपक्षी मोहनलाल के देहान्त के कारण उसके कायममुकामान को रेकार्ड पर लिए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष को सुना। न्यायहित में अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वर्णित कायममुकामान को रेकार्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

4. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है चम्बल कमाण्ड ऐरिया में आवंटन हेतु बनाये गये नियम 1957 के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम कालारेवा तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 314 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 15-6-1985 को अपीलार्थी के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटन की पालना में दिनांक 15-12-1985 को आवंटित रकबे का कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट मांगीलाल ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06-12-1985 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय के

विरूद्ध मांगीलाल ने राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 04–3–1991 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि नियम 18 सपठित नियम 7 व 8 लागू होने की स्थिति में तदनुसार मामले का परीक्षण कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। राजस्व मण्डल के उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 04–4–2001 इस आशय के साथ पारित किया कि आराजी को खुली नीलामी से नियमानुसार नियम 18 के तहत कार्यवाही में विक्रय किया जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 04–2–2003 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के आदेश को यथावत रख दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 04–2–2003 के विरूद्ध अपीलार्थी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि उनका कहना है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6–2–1976 में यह स्पष्ट व्याख्या की गई है कि राज्य अपनी भूमि को अन्य नियमों के होते हुए भी किसी भी रूप में बेच सकती है। आगे बताया कि मामले में नियम 7 व 8 तथा नियम 18 के प्रावधान लागू नहीं होते है। उनका मुख्य कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नियम 8 तथा नियम 21 के बीच विभेद करने में असमर्थ रहे है। आगे बताया कि नियम 8 आवंटन से संबंधित है और नियम 21 जिसमें 2 एकड से कम भूमि के आवंटन का प्रावधान है तथा वह विक्रय से संबंधित है। उनका आगे

कथन है कि उक्त प्रावधान नियम 8 के अन्तर्गत किए गए आवंटन वाले प्रकरण में लागू नहीं होता है। इस बाबत 1972 आरआरडी पेज 6 में विस्तार से विवेचन किया गया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायलयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति को वास्ते विवादित आराजी के आवंटन की राशि जमा करने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि विवादित रकबे बाबत राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयानुसार नियम 18 के तहत उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा की गयी कार्यवाही विधि सम्मत है। मामले में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत ठहराने में अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। उनका कहना है कि राजस्व मण्डल के निर्देशों के क्रम में उपखण्ड अधिकारी ने प्रचलित नियमों के तहत प्रकरण का परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखने की प्रार्थना की है।

8. उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है तथा कहा कि अपीलार्थी ने सारहीन तथ्यों का समावेश करते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो कि चलने योग्य नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

9. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

10. अपीलार्थी मोहनलाल ने चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा अधिनियम 10 के अन्तर्गत विवादित आराजी के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी कालारेवा का निवासी है तथा भूमिहीन है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने मौके पर फसल नहीं होने का अंकन किया है। कालान्तर में आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन आदेश दिनांक 15-6-1985 के द्वारा विवादित रकबे का अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन कर दिया गया। उक्त आवंटन की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 15-12-1985 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मांगीलाल द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर खारिज की गई तथा जिसके विरूद्ध मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 04-3-1991 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त कर प्रकरण को नियम 18 सपठित नियम 7 व 8 लागू होने की स्थिति में परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करने बाबत निर्देशित किया। राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी कोटा ने नियम 18 के तहत प्रकरण का परीक्षण कर भूमि को खुली नीलामी से नियमानुसार विक्रय किए जाने का अभिमत व्यक्त किया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रखा है।

11. न्यायिक दृष्टान्त 1975 डब्ल्यूएन यूसी पेज 171 बउनवान गणेश बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार मत व्यक्त किया हैः-

"The Revenue Appellate Authority and the State Government have further found that the proceedings for auction are vitiated in as much as no notice as required by Rule 19 of the Rules was issued before holding auction of the land in question and the procedure prescribed under the said Rule was altogether ignored. In these circumstances there is no escape from the conclusion that the auction of the land in favour of the petitioner and his brother was illegal and void and did not confer any right upon him. In this view of the matter, this court is not in position to uphold the auction and grant any relief to the petitioner. Hence without deciding the competence of the Revenue Appellate Authority to entertain the appeal, I find that the auction itself being without jurisdiction cannot be maintained. "

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में प्रकरण का सम्यक रूप से परीक्षण करने पर हम पाते है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–2001 में विवादित आराजी को खुली नीलामी से नियमानुसार नियम 18 के तहत कार्यवाही में विक्रय किये जाने संबंधी आज्ञा अविधिक है, जिसका समर्थन करने का कोई ठोस कारण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। उक्त दोषपूर्ण निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निष्कर्ष को यथावत रखने में अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा मामले में उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1992 आरआरडी पेज 9 तथा 1984 आरआरडी पेज 688 का अवलोकन किया, जिससे हम सहमत है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि प्रश्नगत आवंटन दिनांक 15–6–1985 को किया गया है। आज की स्थिति में उक्त आवंटन को करीब 37 वर्ष का लम्बा समय व्यतीत हो चुका है और यदि **इतने लम्बे समय उपरान्त आवंटित भूमि को जरिये खुली नीलामी से विक्रय की जाती है तो यह निश्चित रुप से आवंटी के हितों के प्रतिकूल होगा व (ट्रैवैस्टी आफ जस्टिस) होगा।** विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये आवंटित भूमि को खुली नीलामी से विक्रय किए जाने का आदेश पारित किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण के तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं का विवेचन करने की अपेक्षा संक्षिप्त निर्णय से विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों

व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से उसमें दखल देना आवश्यक हो गया है। तथ्यों एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के मद्दे नजर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त करने योग्य पाये जाते हैं।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–2–2003 तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–4–2001 को अपास्त किया जाता है। विवादित आराजी का अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 15–6–1985 को बहाल किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15–6–1985 की दर से प्रति बीघा राशि की गणना कर रकम राजकोष में जमा करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य